भाग-I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 दिसम्बर, 2011

संख्या लैजo 25/2011.—दि हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिंग्ज, (अॅमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2011 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 7 दिसम्बर, 2011, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2011 का हरियाणा अधिनियम संख्या 20

हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2011

हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972
को आगे संशोधित करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा (संशोधन) अधिनियम, 2011, कहा जा सकता है।

(2) यह 30 जनवरी, 1975 से लागू हुआ समझा जाएगा।

1972 के हरियाणा अधिनियम 26 की धारा 5 का संशोधन।

2. हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 5 में,—

(क) खण्ड (च) में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ख) खण्ड (च) के बाद, निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात् :—

"(छ) किसी व्यक्ति द्वारा गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए अर्जित तथा हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) के अधीन यथा परिभाषित 'नगरीय क्षेत्र' के भीतर पड़ने वाली भूमि ;

(ज) किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित तथा गैर-कृषि उपयोग के लिए रखी गई भूमि, या भूमि जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञा, जहां कहीं लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए इसके उपयोग हेतु प्रदान की गई है ;

(झ) उपरोक्त खण्ड (छ) या (ज) के अधीन न आने वाली तथा किसी व्यक्ति द्वारा गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए अर्जित भूमि :

परन्तु यदि आवेदन हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4) के प्रारम्भ होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर या भूमि के अर्जन के एक वर्ष के भीतर, जो भी बाद में हो, राज्य सरकार या उस द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए किया जाता है :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति एक वर्ष के भीतर अनुज्ञा के लिए आवेदन करने में असफल रहता है या ऐसी अनुज्ञा से इनकार किया जाता है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर घोषित उपयोग के लिए भूमि रखने में असफल रहता है, तब ऐसी भूमि इस खण्ड के कार्यक्षेत्र से अपवर्जित हो जाएगी।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (2011 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

मनजीत सिंह,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

49354—L.R.—H.G.P., Chd.